न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./03/2019/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
दानाराम पुत्र किस्तुराराम जाति दर्जी निवासी गांधव खुर्द पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. जोधाराम पुत्र मिश्राराम 2. प्रकाश पुत्र मिश्राराम जाति दर्जी निवासी गांधव खुर्द पटवार गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2017 (35/2017) बउनवान जोधाराम बनाम दानाराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री अनिल कुमार सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 01 जोधाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 35/2017 पेश कर मात्र दो खसरा संख्या 426/20 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 430/4 रकबा 07 बिस्वा मौजा गांधव खुर्द में अपना 1/4 हिस्सा घोषित कर विभाजन करने का पेश किया तथा अपीलांट दानाराम ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पृथक वाद संख्या 51/2017 मौजा गांधव खुर्द के खसरा संख्या 210, 426/20, 427/20, 429/4, 430/4 व मौजा गांधव कला के खसरा संख्या 169, 169/2, 250 में अपने 1/2 हिस्से की आवगी खसरा व संलग्न नजरी नक्शा परिशष्ट'क' अनुसार घोषणा कर कब्जे काश्त अनुसार शेष उत्तरदातागण से विभाजित करने का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 35/2017 के साथ वाद संख्या 51/2017 को कंसोलिडेट किया गया परन्तु बिना आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी में पक्षकारान के पूर्वजों के समय से बाहामी बंटवारा हो रखा है व उसी माफिक पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त व रहवास करते आ रहे है। अपीलांट को उक्त वादग्रस्त समस्त खसरान की भूमि में से खसरा संख्या 426/20, 429/4, 430/4, 169, 169/2 कब्जे काश्त की सम्पूर्ण भूमि वक्त बाहामी बंटवारे से आवगी प्राप्त है तथा उत्तरदाता संख्या 1 व 2 को खसरा संख्या 210 सम्पूर्ण भूमि आवगी बंटवारे में प्राप्त है तथा शेष खसरान खसरा संख्या 427/20 व 250 पक्षकारान को आधे–आधे हिस्से पर कब्जे काश्त की बाहामी बंटवारे में प्राप्त है व इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है, खसरा संख्या 426/20 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 430/4 रकबा 07 बीघा मौजा गांधव खुर्द में अपीलांट व उसके पुत्रों के आवास, मकान, बाड़े, टांके आदि वर्षों पूर्व से बने हुऐ है व रहवास करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस्तदुआ माफिक आवगी खसरे व संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' अनुसार वादग्रस्त खसरान की घोषणा न कर बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना कर मात्र एकतरफा विभाजन का आदेश तथ्यों के विपरीत पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई प्रदर्श अंकित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। इसके बावजूद भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अर्सा 15 दिन पूर्व अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना हेतु पटवारी हल्का वादग्रस्त भूमि पर आये तो पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा बिना समुचित सुनवाई के अपनी मनमर्जी से प्रक्रिया के विपरीत जारक गलत व विधि के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है, उक्त निर्णय व डिक्री की कोई सूचना अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई, अपीलांट को ज्ञात होते ही न्यायालय जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कियातो अधिवक्ता ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, न्यायालय रेकर्ड देखने पर अपीलाधीन निर्णय डिक्री का ज्ञान हुआ जिसकी नकले उसी दिन दिनांक 26.12.2018 को मांगी गई जो उसी दिन दिनांक 26.12.2018 को प्राप्त हुई, वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलांट द्वारा अपील को जानबूझकर विलंब से पेश नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि म्याद जैसे तकनीकी बिंदु पर अपील खारिज नहीं करके मेरिट पर निर्णीत किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णीत किया जावे। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(जयनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। इसके बावजूद भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अर्सा 15 दिन पूर्व अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2018 की पालना हेतु पटवारी हल्का वादग्रस्त भूमि पर आये तो पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा बिना समुचित सुनवाई के अपनी मनमर्जी से प्रक्रिया के विपरीत जारक गलत व विधि के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है, उक्त निर्णय व डिक्री की कोई सूचना अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई, अपीलांट को ज्ञात होते ही न्यायालय जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कियातो अधिवक्ता ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, न्यायालय रेकर्ड देखने पर अपीलाधीन निर्णय डिक्री का ज्ञान हुआ जिसकी नकले उसी दिन दिनांक 26.12.2018 को मांगी गई जो उसी दिन दिनांक 26.12.2018 को प्राप्त हुई, वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलांट द्वारा अपील को जानबूझकर विलंब से पेश नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि म्याद जैसे तकनीकी बिंदु पर अपील खारिज नहीं करके मेरिट पर निर्णीत किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णीत किया जावे। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2018 विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की गई। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार स्पीकिंग निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी को लेकर पक्षकारों द्वारा दो अलग–अलग वाद संख्या 35/2017 व 51/2017 पेश किये गये। जो वाद सुनवाई कंसोलिडेट किये गये। उक्त वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। न ही अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद के साथ परिशिष्ट 'क' पेश कर मुताबिक परिशिष्ट घोषण एवं बंटवारे की इस्तदुआ चाही गई है। परिशिष्ट'क' पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2017 (35/2017) बउनवान जोधाराम बनाम दानाराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए वाद में तनकीयात कायम कर अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2025 अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(तनवीर कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर